



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052024-254067
CG-DL-E-07052024-254067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946

No. 1815]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2024

का.आ. 1908(अ).— जबकि, केंद्र सरकार ने अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में, दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2021/ जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार उक्त नोटिस की तिथि से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2023 के पत्र सं. पीएलजी/एमपी/0142/2022/एफ-20 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण और दिनांक 09.08.2023 के समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे।

2. जबकि, निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठक की अपेक्षित नहीं थी।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2021/ जोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उपयुक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

ज़ोन-ई में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार बदला गया है:

स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टेयर और वर्ग.मी. में)	भूमि उपयोग (दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2021 और जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) के अनुसार)	भूमि उपयोग में बदलाव	सीमाएं
1	2	3	4	5
गाजीपुर ओल्ड लोकेशन, वर्तमान में एमसीडी टोल टैक्स (एनएच-24)	0.7205 हेक्टेयर (7205 वर्ग.मी.)	व्यावसायिक सी2 : होलसेल एवं वेयरहाउसिंग दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी) - 2021 के अनुसार मनोरंजनात्मक (सामुदायिक पार्क/पार्क/बहुदेशीय /जीआर) जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना- एमपीडी -2021 के अनुसार तैयार	परिवहन (टोल प्लाजा)	उत्तर: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दक्षिण: गाजीपुर डेयरी फार्म पूर्व: दिल्ली यूपी बॉर्डर पश्चिम: डॉ. हेडगेवार मार्ग

[फा. सं. के-13011/4/2024-डीडी-I]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2024

S.O. 1908(E).—Whereas, certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone-E, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary vide No.PLG/MP/0142/2022/F-20 dated 07.08.2023, as well as in newspapers on 09.08.2023 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions have been received within the stipulated time period, therefore the meeting of Board of Enquiry and Hearing was not required.

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi -2021/ Zonal Development Plan of Zone-E.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone-E with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of land falling in Zone-E is changed as per the description listed below:

Location	Area (in Ha. & Sqm)	Land use (as per MPD 2021 & ZDP of Zone E)	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Ghazipur old location, currently MCD Toll Tax (NH-24)	0.7205 Ha. (7205 sqm.)	Commercial C2: Wholesale & Warehousing As per MPD-2021 Recreational (Community Park/Park/Multipurpose/GR) As per ZDP of Zone E prepared under MPD-2021	Transportation (Toll Plaza)	North: Delhi Meerut Expressway South: Ghazipur Dairy Farm East: Delhi-UP Border West: Dr. Hedgewar Marg

[F.No.K-13011/4/2024-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.